न्यायालय–तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर (जिला श्रीगंगानगर)

सन् 2015

राजस्व प्रकरण सं. 16

हल्का पटवारी फकीरवाली, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर –प्रार्थी

बनाम

1. अजायब सिंह पुत्र श्री सुन्दरसिंह जाति जटसिख साकिन तामकोट तह0 पदमपुर
2. खड़गा पुत्र राऊ जाति मेघवाल निवासी 34 आरबी तह0 पदमपुर
3. रेखा पुत्र राऊ जाति मेघवाल निवासी 34 आरबी तह0 पदमपुर
4. सुरजा पुत्र राऊ जाति मेघवाल निवासी 34 आरबी (मृतक)

4/1सुखीदेवी पत्नी सुरजाराम जाति नायक निवासी रामपुरा नयोला तह0 सूरतगढ

4/2गोपालराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी रामपुरा नयोला तह0 सूरतगढ

4/3सावित्री पुत्री सुरजाराम जाति नायक निवासी रामपुरा नयोला तह0 सूरतगढ

4/4बुधराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी रामपुरा नयोला तह0 सूरतगढ

4/5लालचन्द पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी रामपुरा नयोला तह0 सूरतगढ

4/6चुन्नीराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी रामपुरा नयोला तह0 सूरतगढ

4/7मेहरचन्द पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी रामपुरा नयोला तह0 सूरतगढ

4/8चेतराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी रामपुरा नयोला तह0 सूरतगढ

–अप्रार्थीगण

दिनांक 03-01-2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई, पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रकरण इस आशय का पेश किया है कि चक 34 आरबी के संयुक्त खाता सं. 13 के मु.न. 47, 48 की कुल 5.313 है0 में से मु.न. 47 की 2.707 है0 रकबा खड़गा–रेखा–सुरजा पि0 राऊ कोम मेघवाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। जबकि उक्त रकबा पर अप्रार्थी सं. 1 अजायबसिंह पुत्र श्री सुन्दरसिंह कोम जटसिख काबिज है जो स्वर्ण जाति का है अतः निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही की जाये। पटवारी रिपोर्ट पेश संलग्न है कि अजायबसिंह द्वारा उक्त रकबा का खड़गा–रेखा व सुरजा से बैयनामा सन 1965 में रजिस्ट्री द्वारा कराया हुआ है एवं इन्तकाल ना करवा पाने के कारण राजस्व रिकार्ड में रकबा खडंगा बगैरा के नाम से ही दर्ज है। अप्रार्थी सं. 2 ता 4 की ओर से गोपालराम बगैरा ने जबाव पेश किया कि चक 34 आरबी के मु.न. 47 व 48 के रकबा मे से 2.707 है0 भूमि खड़गा, रेखा सुरजा पि0 राऊ कोम नायक के नाम है जो उनके ताया एवं पिता है। जो अनूसूचित जाति के है। जिसका बेचान धार 42 राज0 काश्त0 अधि0 के प्रावधान के अनुसार स्वर्ण जाति के व्यक्ति को नही ह सकता है। इस संबंध में अजायबसिंह ने उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के सम कोई वाद पेश किया है तो उन्हें जानकारी नही है। प्रकरण श्रीमान एडीएम सा से रिमाण्ड होकर आ चुका है। प्रार्थी खड़गा, सुरजा, रेखा के वारिसान उक्त

अति. जिला कलेक्टर (प्रशासन)
10/17 श्रीगंगानगर

का कब्जा काश्त करने के अधिकारी है। भूमि का कब्जा हमें दिलाया जाये। गोपालराम बगैरा ने उपरोक्त जबाव के अनुसार ही बहस में निवेदन किया।

अप्रार्थी सं. 1 अजायबसिंह पुत्र श्री सुन्दरसिंह निवासी तामकोट ने जबाव पेश किया कि चक 34 आरबी की मु.न. 47 की 2.707 है0 भूमि खडंगा, रेखा, सुरजा ने पूरी कीमत प्राप्त कर भूमि को जरिये रजिस्ट्री बैयनामा दि0 12.04.1965 को मुझ अप्रार्थी को बेचान कर दी तब से आज तक अप्रार्थी सं. 1 का लगातार कब्जा काश्त है। भूमि विक्रय करने के पश्चात ये लोग भूमि को ऐलानिया आवारा छोडकर अन्यत्र कही पलायन कर गये। जिस पर कब्जा के आधार पर उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के न्यायालय में खातेदारी घोषणा कराने का वाद सं. 103/09 धारा 88, 91, 92 ए, 188 आरटीए का जेरकार है। पूर्व मे श्रीमानजी ने दिनांक 28.05.09 को द्वारा उक्त भूमि का कब्जा अप्रार्थी सं. 1 से लेने का एक पक्षीय आदेश पारित किया जिसकी अपील सं. 48/09 श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर के यहां पेश की तथा स्थगन प्रार्थना पत्र की निगरानी राजस्व मण्डल अजमेर मे पेश की। तत्पश्चात श्रीमान अति0 जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर द्वारा तहसीलदार पदमपुर का बेदखली का आदेश दिनांक 28.05.09 को निरस्त कर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु भिजवाई है। जबाव के अनुसार बहस में निवेदन किया कि श्रीमानजी द्वारा इन्ही पक्षकारान के मध्य की पत्रावली गोपालराम, ओमप्रकाश पुत्र खड़गाराम बगैरा बनाम अजायबसिंह धारा 183 बी आरटीए का प्रकरण सं. 43/14 दिनांक 01.12.2014 को खारिज कर दिया है। जिसकी कोई अपील/रिवीजन नही हुई है। धारा 11 सीपीसी के अनुसार उक्त निर्णय अन्तिम होने से पुनः विचारन नही हो सकता। तथा उक्त भूमि का दावा एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन होने से भी कार्यवाही नही की जा सकती। तथा 1984 आर.आर.डी पेज 100 एवं 2006(3) डीएनजे 1363 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रजिस्ट्री बैयनामा से बेचान हो जाने के पश्चात धारा 183 बी आरटीए की कार्यवाही नही ला जा सकती। एवं भूमि विक्रय होने पर असल भूमिधारी भी धारा 42 बी आरटीए के प्रावधान की उल्लंघना के लिए समान रूप से जिम्मेवार है व भूमि प्राप्त करने का हकदार नही है तथा 1988आर.आर.डी 428, 1986आर.आर0.डी 411, 1984आर.आर.डी. 821, 2001(2)डीएनजे सुप्रीम कोर्ट 832, पेश कर निवेदन किया कि धारा 183 बी आरटीए का वादपत्र पेश करने की मियाद अवधि 12 वर्ष ही है। अतः उक्त प्रकरण खारिज फरमाया जाये।

पत्रावली मे प्रस्तुत पक्षकारान के जबाव एवं सबूतों की फोटो प्रतियों पर मनन किया। उपरोक्त भूमि के संबंध में इसी न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.14 को धारा 183 बी आरटीए का वादपत्र खारिज किया हुआ है तथा उपरोक्त भूमि के संबधं में श्रीमान उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के न्यायालय में पक्षकारान के मध्य वादपत्र लम्बित है तथा उक्त रजिस्ट्री बैयनामा दिनांक 12.04.1965 का है जबकि वादपत्र दिनांक 06.03.2009 को 44 वर्ष की अवधि के पश्चात पेश किया गया है। जो मियाद बाहर साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 183 बी आरटीए चलने योग्य नही है। अतः वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आरटीए निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

3/4/17

तहसीलदार (राजस्व)
पदमपुर

तहसीलदार (राजस्व)
पदमपुर